बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प०नि०वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक)

शेखपुरा, पटना–800014

दूरभाष नं० – 0612–2226711, फैक्स नं०– 0612–2226723

ज्ञापांक–BSRDC Ltd- 21/2009/(Part-&)/2017 - 652 पटना, दिनांक– 6/3/2025

कार्यालय आदेश–2009

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के विज्ञापन ज्ञापांक– 21/2009/(Part-&)/2017- 2626, 04.11.2024 द्वारा विज्ञापित **मुख्य लेखा पदाधिकारी** के पद पर **श्री अमित कुमार, पिता– श्री रामचन्द्र, प्रेम संदेश भवन, लाईन पर मिर्जापुर, गली नं.– 2, नवादा–805110** को निम्नांकित शर्त्तो एवं बन्धेजों के अधीन संविदा के आधार पर **मूल वेतन रू० 21,855 + D.A. (6th CPC) प्रति माह** पर उनके योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में नियोजित किया जाता है:–

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिये है, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी। परीक्ष्यमान अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा।
2. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक होगा जिसकी सम्पुष्टि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन तथा परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् ही होगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रामिक की वसूली नियमानुसार की जायेगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।
5. संविदा पर नियोजित व्यक्ति का पदस्थापन तथा स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
7. योगदान के पश्चात् नियोजित व्यक्ति को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के साथ विहित प्रपत्र में एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सभी शर्त्ते मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुबंध के किसी भी शर्त्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध एवं नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
8. योगदान के समय नियोजित व्यक्ति को निबंधित चिकित्सक द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा। साथ ही योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. दिनांक–17/03/2025 तक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, प०नि०वि०, यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक), शेखपुरा, पटना–800014 में योगदान नहीं देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
10. पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अनु०–यथोक्त।

6/3/25

(शीर्षत कपिल अशोक)
प्रबंध निदेशक